<u>कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर</u>

क्रमांक–शिविरा–मा/म.गां.अनु./आदर्श–उत्कृष्ट विद्यालय/61066/2020–21/235-236 दिनांक 03.03.2023

<u>कार्यालय आदेश</u>

राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय को **"राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत"** चयनित कर इन्हें आदर्श विद्यालय के मार्गदर्शन (Mentorship) में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों द्वारा चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड/दिशा– निर्देश पूर्ण नहीं करने, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन एवं संशोधन, विद्यालय क्रमोन्नति इत्यादि कारणों से शासकीय स्वीकृति **पत्रांक–प.17(3)प्राशि/आयो/उत्कृ.वि.दिशा–निर्देश/2016 जयपुर, दिनांक 23.06.2021** के क्रम में पुनर्गठित/नवीन ग्राम पंचायतों के अनुसार **संलग्न परिशिष्ट के कॉलम संख्या 04** में वर्णित ग्राम पंचायत के स्तर पर **कॉलम संख्या 08** में वर्णित विद्यालय को एतद् द्वारा **"उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत"** चयनित किया जाता है।

उक्त योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों को निर्धारित दिशा–निर्देश एवं मानदण्ड तथा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार स्थापित/संचालित एवं विकसित करना सुनिश्चित करें। साथ ही वे ग्राम पंचायतें जिनमें आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत चिह्नित/चयनित विद्यालय नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में उक्त योजनान्तर्गत विद्यालयों के चिह्नीकरण होने तक उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों को नजदीकी/समीपस्थ ग्राम पंचायत के आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के **मार्गदर्शन (Mentorship)** के अन्तर्गत विकसित किया जाएगा।

<u>नोट:</u>–1. उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों की जिलेवार सूची विभागीय वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in/secondary पर उपलब्ध है।

संलग्नः–परिशिष्ट (**उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों की जिलेवार सूची**) एवं उपर्युक्तानुसार

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/म.गां.अनु./आदर्श–उत्कृष्ट विद्यालय/61066/2020–21/235-236 दिनांक 03.03.2023

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
7. अति.राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूलशिप.जयपुर।
8. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूलशिप.जयपुर।
9. **समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों में उक्तानुरूप पालना/कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
12. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा।

14.समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/सीआरसीएफ एवं शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (UCEEO)/सीआरसीएफ तथा संस्था प्रधान।

15.**उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें।**

16.प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर।

17.सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

18.स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।

19.रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर